सं0-07/6204/62-2-2013-2/3(72)/2013

सेवा में,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 28 जनवरी,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोजित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-257/ल0सिं0/बजट-आयोजने0पुन0विनि0/2013-2014, दिनांक 04-12-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0-7082.82 लाख के सापेक्ष रू0-4.50 लाख (रूपया चार लाख पचास हजार मात्र), जो लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना मद-42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) संक्रमित की गयी है, को स्वीकृत कर व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त पुनर्विनियोग के फलस्वरूप लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के मानक मद-42-अन्य व्यय में (प्राविधानित धनराशि तथा संक्रमित धनराशि रू0-4.50 लाख को मिलाकर वर्तमान समय में उपलब्ध होने वाली कुल धनराशि रू0-5,37,000/- में से रिट याचिका सं0-49306/2004 मुख्य अभियंता लघु सिंचाई व अन्य बनाम श्री चमन सिंह व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-03-2012 के अनुपालन में रू0-2,60,000/- तथा रिट याचिका सं0-2737(एस0एस0)/2005,

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0 प्र0 राज्य बनाम संतोष कुमार में पारित निर्णय के अधीन रू0-1,90,000/- इस पकार कुल धनराशि रू0-4,50,000/- के भुगतान किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

4- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेंगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्शानुसार जारी किये जाने रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

सं0-6204(1)/62-2-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन। (03 प्रतियों में)
5- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in